



**INFUSION NOTES**  
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

# राजस्थान 1st Grade

स्कूल व्याख्याता



ॐ सरस्वती मया दृष्ट्वा, वीणा पुस्तक धारणीम।  
हंस वाहिनी सभायुक्ता मां विद्या दान करोतु मे ॐ॥

भाग - 4

भारतीय राजव्यवस्था

## प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “राजस्थान 1<sup>st</sup> Grade (स्कूल व्याख्याता)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “राजस्थान 1<sup>st</sup> Grade (स्कूल व्याख्याता)” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे।

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है। अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशक:

**INFUSION NOTES**

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : [contact@infusionnotes.com](mailto:contact@infusionnotes.com)

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/wt3ks1>

Online Order करें - <https://shorturl.at/hkAY3>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

## भारतीय संविधान

क्र.सं.	अध्याय	पेज नं.
1.	संविधान सभा	1
2.	उद्देशिका ( प्रस्तावना)	3
3.	संविधान की प्रमुख विशेषताएँ	5
4.	मौलिक अधिकार	6
5.	नीति निर्देशक तत्त्व एवं मूल कर्तव्य	13
6.	निर्वाचन आयोग	16
7.	राष्ट्रपति	18
8.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	33
9.	भारतीय संसद	38
10.	सर्वोच्च न्यायालय	46
11.	नीति आयोग	51
12.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	52
13.	केन्द्रीय सूचना आयोग	56
14.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	60
15.	लोक सेवा आयोग	60
	विविध	65

## भारतीय संविधान

### अध्याय - 1

#### संविधान सभा

- भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम० एन. राय ने रखा ।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है।
- क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया ।

#### क्रिप्स मिशन

- लार्ड सर पैथिक लारेंस (अध्यक्ष)
- ए० वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ । मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था
- संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी । इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी ।
- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी । आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था । यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम्स, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर)।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार किया जाना था
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था । स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निर्वाचित सभा थी । उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए । इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों

को 15 सीटें मिली । देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था ।

आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था । तब भी यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था । इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएं भी थीं। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे।

#### उद्देश्य प्रस्ताव :-

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थाई अध्यक्ष बनाया गया 2 दिन पश्चात्। दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थाई अध्यक्ष बनाया गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए।
  - भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी।
  - इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी।
  - भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, संस्था बनाने, कोई व्यवसाय करने, किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी।
  - अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त रक्षोपाय किए जाएंगे।
  - देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा।
  - भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।
- इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया।

#### संविधान सभा की कार्य प्रणाली

अस्थायी अध्यक्ष - सच्चिदानंद सिन्हा

अध्यक्ष - डा० राजेंद्र प्रसाद

उपाध्यक्ष - डा. एच. सी मुखर्जी, वी०टी०कृष्णामाचारी

- ❖ 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

### संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना ।
- 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठके हुईं, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया ।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।

### संविधान सभा की समितियां

संघ शक्ति समिति	प. जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारूप समिति	डॉ. बी. आर. अंबेडकर
मौलिक अधिकारी अल्पसंख्यको एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति	सरदार पटेल
प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

### प्रारूप समिति

1. अंबेडकर (अध्यक्ष)
  2. एन गोपालस्वामी आयंगर
  3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
  4. डॉ. के.एम मुंशी
  5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला
  6. एन. माधव राव (बी. एल. मिल की जगह)
  7. टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी खेतान की जगह)
- 4 नवम्बर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अन्तिम प्रारूप पेश किया गया । इस बार संविधान पहली बार पढा गया ।
  - संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया।
  - 26 नवम्बर 1949 को अपनाए गये संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी।

### संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

1. हिन्दू (163)
2. मुस्लिम (80)
3. अनुसूचित जाति (31)
4. भारतीय ईसाई (6)

### 5. पिछड़ी जनजातियां (6)

6. सिख (4)
7. एन्ग्लो इंडियन (3)
8. पारसी (3)

### भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता

- मद्रास (49)
- बॉम्बे (21)
- पश्चिम बंगाल (19)
- संयुक्त प्रांत (55)
- पूर्वी पंजाब (12)
- बिहार (36)
- मध्य प्रांत एवं बरार (17)
- असम (8)
- उड़ीसा (9)
- दिल्ली (1)

- संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक (मुहर) के रूप में अपनाया ।
- सर वी० एन. राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था।

### संविधान निर्माण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्ति

- एच. वी. आर अय्यंगर (सचिव)
- एल.एन. मुखर्जी (चीफ ड्राफ्टमैन)
- प्रेम बिहारी नारायण (सुलेखक)
- मंदलाल बोस और विउहर (मूल संस्करण का सजावट और सौन्दर्यीकरण)



## अध्याय- 5

### नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य

#### भाग-4 अनुच्छेद (36-51)

नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण-

- (i) सामान्य जनता को आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले निदेशक तत्व
- (ii) सामान्य जनता को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने वाले निदेशक तत्व
- (iii) राजनीतिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी निदेशक तत्व
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा सम्बन्धित नीति

#### निदेशक तत्व

अनु. 36- राज्य की परिभाषा

अनु. 37- न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं किन्तु देश के शासन में मूलभूत हैं, अतः नीति बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।

अनु. 38- (i) राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने में जिससे लोक कल्याण में वृद्धि हो सके।

(ii) राज्य आय की असमानता समाप्त करने का प्रयास करे तथा अवसर की असमानता समान करने की व्यवस्था।

#### अनु०39 -

(a) स्त्री-पुरुष कर्म कारों को जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करना।

नरेगा लागू - 2 Feb 2008

बेरोजगारी भत्ते का कोई उल्लेख नहीं है।

(b) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण उस प्रकार से हो जिससे सर्वसाधारण का हित हो सके।

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन -1951

(c) आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण एवं संचालन इस प्रकार किया जाए जिससे धन एवं उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो सके।

1969 में -14 बैंक का राष्ट्रीयकरण

(d) स्त्री-पुरुष कर्मकारों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना।

**Que:-** कौन से नीति निदेशक तत्व हैं जिन्हें मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है।

**Ans:-**अनुच्छेद 39(b), (c)

अनु० 39(A):- समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता

अनु० 40 (A):- ग्राम पंचायतों का गठन -

सामुदायिक विकास कार्यक्रम - 2 Oct 1952 (असफल)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा - 2 Oct 1953 (असफल)

- सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के कारणों की जाँच करने के लिए बलवंत राम मेहता समिति 1957 बनाया गया।

- जनता को हर स्तर पर शामिल करने की धारणा ही सहभागीमुलक लोकतंत्र कहलाया।
- § त्रिस्तरीय पंचायत का गठन
- § जिला पंचायत
- § खण्ड
- § ग्राम

**बलवंत राय मेहता समिति (1952):-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति (ग्रामोधार समिति) का गठन किया गया इसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता ने की। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया (i) जिला पंचायत (ii) खण्ड (iii) ग्राम

- उसमें यह भी सिफारिश की गई कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की मूल इकाई प्रखण्ड या समिति के स्तर पर होनी चाहिए।
- मेहता समिति की सिफारिशों को अप्रैल 1958 को लागू किया गया
- इस समिति द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान कि विधानसभा ने 2 Sep 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 Oct 1959 राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया।

**अशोक मेहता समिति (1977):-** बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया।

- इस समिति में 13 सदस्य थे
- इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी जिसमें कुल 132 सिफारिश की गई थी।
- इस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को खत्म करने की सिफारिश की गई परन्तु इसे अपर्याप्त मानकर नामंजूर कर दिया गया।

**डी.पी.वी.के. राव समिति (1985):-** 1985 में डा. पीबी के राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके उसे यह कार्य सौंपा गया कि वह ग्रामीण विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश करे।

- इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर महिलाओं के लिए आरक्षण कि भी सिफारिश की, लेकिन समिति की सिफारिश को अमान्य घोषित कर दिया गया।

**पी के थुंगन समिति (1988):-** 1988 में पी. के थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिये किया गया।

- इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए।
- पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भाग-9 व 11 वी अनुसूची में है तथा इसमें कुल 29 विषय हैं।

## अध्याय- 9

### भारतीय संसद

#### संघीय विधानमंडल (संसद)

'संसद' शब्द अंग्रेजी के 'पार्लियामेंट' का हिन्दी रूपान्तर है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द 'Parler' (जिसका अर्थ है बोलना या बातचीत करना) और लैटिन शब्द 'Parliamentum' से हुई है। लैटिन भाषा-भाषी लोग इसे भोजन के बाद की जाने वाली वार्ताओं के लिए प्रयोग करते थे। यह वार्ता पादरी लोग अपने-अपने पूजा गृहों में करते थे और इन वार्ताओं को 13 वीं सदी की एकलवादी सरकारों ने 'गरिमा विहीन' कहकर निंदा की थी। मैथ्यू पेरिस ऑफ सेन्ट अल्बान्स, वह प्रथम व्यक्ति था जिसने 1239 और पुनः 1249 ई. में 'Parliament' शब्द का पादरियों, अर्ल्स, और लार्डों की महान परिषद के लिए प्रयोग किया था। तब से यह शब्द विभिन्न मुद्दों एवं समसामयिक विषयों पर बातचीत करने का मंच सुलभ कराने वाली सभाओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा।

भारत की संघात्मक व्यवस्था में केन्द्रीय विधानमंडल को संसद कहते हैं। एक विचारधारा और जनता की प्रतिनिधिक संस्था के रूप में संसद युगों से उन सिद्धांतों की चिरस्थायी स्मारक रही है जिनका हम नैतिक और राजनीतिक रूप से सदैव समर्थन करते रहे हैं। जब तक संसद जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति तथा उसे पूरा करने वाला निकाय के रूप में कार्य करती रहेगी, तब तक यह देश में अशांति, असंतोष एवं अराजकता को रोकने का सबसे सशक्त माध्यम बनी रहेगी। संभवतः इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने कहा था कि, 'संसदीय सरकार के बिना हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा।'

भारतीय संविधान के अनु. 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसी प्रकार लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहने का कारण उसमें चुनकर आने वाले सदस्यों की तुलनात्मक योग्यता है। परम्परागत रूप में ऐसा माना जाता है कि लोक सभा में जनता द्वारा चुनकर ऐसे लोग आते हैं जो लोकप्रिय तो होते हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं कि वे अत्यंत योग्य एवं विद्वान ही हों, इसमें ऐसे लोग भी प्रायः आते रहे हैं जिनके पास अत्यंत मामूली किताबी ज्ञान भी न रहा हो, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा चुने हुए लोग करते हैं, अतः उसके सदस्य लोकसभा के सदस्यों की तुलना में अधिक योग्य तथा जानकार होंगे, इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं।

विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और यहाँ से पारित हो जाने के बाद वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं। चूंकि अधिकांश विधेयक पहले लोकसभा में आते हैं और बाद में वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अतः विधेयकों के प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है।

प्रथम और द्वितीय सदन कहने का एक आधार और भी है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। चूंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है और राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थात् जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, इसलिए भी लोकसभा को प्रथम सदन तथा राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। अनु. 79 में राष्ट्रपति को संसद का अनिवार्य अंग बताया गया है क्योंकि वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका स्थगन कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है। कोई भी विधेयक, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही 'विधि' का रूप धारण करता है। संसद से पारित हुए विधेयकों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि, राष्ट्रपति के उसपर अपनी अनुमति न दे दी हो।

#### लोकसभा

प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था। लोकसभा के गठन के सम्बन्ध में संविधान के दो अनुच्छेद, यथा 81 तथा 331 में प्रावधान किया गया है। लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन है। इसे 'लोकप्रिय सदन' भी कहा जाता है क्योंकि, इसके सभी सदस्य जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं।

लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 है इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं।

**Note :-** 91 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में प्रावधान किया गया था कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 सन 2026 तक बनी रहेगी और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। जिन्हें अब 104 वाँ संविधान संशोधन 2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया है साथ ही अब लोक सभा की अधिकतम संख्या 550 होगी।

- परिसीमन अधिनियम 1952 के अनुसार त्रिसदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2001 में किया गया। देश में पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 1962 में और तीसरा ऐसा आयोग 1973 में गठित किया गया था।

- लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक होती है।
- लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं
  1. वह भारत का नागरिक हो।
  2. उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो।
  3. वह संघ सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो (सरकारी नौकरी में न हो)
  4. वह पागल / दिवालिया न हो।
- नवगठित लोकसभा अपने अध्यक्ष (स्पीकर) तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा - अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, किन्तु अपने पद से वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है अथवा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है।
- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वयस्क माना जाएगा।
- लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 मास से अधिक नहीं रह सकती।
- लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए होता है।
- लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है।
- क्योंकि लोकसभा के दो बैठकों के बीच का समयान्तराल 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए।
- लोकसभा की अवधि एक बार में वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है।
- आपात उद्घोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह के अन्दर लोकसभा का सामान्य चुनाव कराकर उसका गठन आवश्यक है।

### अधिवेशन

- लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए
- लोकसभा के पिछले अधिवेशन की अन्तिम बैठक की तिथि तथा आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 मास से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अन्तराल 6 माह से अधिक का तब हो सकता है, जब आगामी अधिवेशन के पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया जाए।
- अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा को आहुत करने, उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने का अधिकार प्राप्त है।

### विशेष अधिवेशन

- राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को नामंजूर करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब बुलाया जा सकता है।

जब लोकसभा के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में कम से कम 110 सदस्य राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाने के लिए लिखित सूचना दें या जब अधिवेशन चल रहा हो, तब लोकसभा को इस आशय की लिखित सूचना दें। ऐसी लिखित सूचना अधिवेशन बुलाने की तिथि के 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। ऐसी सूचना पर राष्ट्रपति या लोकसभाध्यक्ष अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य हैं।

**लोकसभा अध्यक्ष** - लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है -

- लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
- लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति निश्चित करता है।
- लोकसभाध्यक्ष लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
- लोकसभाध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है।
- कार्यकारी अध्यक्ष जो लोकसभा में सबसे अधिक उम्र का सदस्य होता है।
- आगामी लोकसभा चुनाव के गठन के बाद उसके प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। लोकसभाध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है।
- लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।
- लोकसभाध्यक्ष का कार्य एवं शक्तियाँ लोकसभा के सम्बन्ध में काफ़ी अधिक हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है-

### राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या

1. उत्तर प्रदेश	80
2. महाराष्ट्र	48
3. पश्चिम बंगाल	42
4. बिहार	40
5. तमिलनाडु	39
6. मध्य प्रदेश	29
7. कर्नाटक	28
8. गुजरात	26
9. राजस्थान	25
10. आंध्र प्रदेश	25
11. ओडिशा	21
12. केरल	20
13. तेलंगाना	17
14. असम	14
15. झारखण्ड	14
16. पंजाब	13
17. छत्तीसगढ़	11
18. हरियाणा	10



19. उत्तराखण्ड	5
20. हिमाचल प्रदेश	4
21. अरुणाचल प्रदेश	2
22. गोवा	2
23. मणिपुर	2
24. मेघालय	2
25. त्रिपुरा	2
26. मिजोरम	1
27. नागालैंड	1
28. सिक्किम	1

### केन्द्रशासित प्रदेश लोकसभा सदस्यों की संख्या

1. दिल्ली	7
2. अंडमान निकोबार	1
3. चण्डीगढ़	1
4. दादरा / नागर हवेली / दमन एवं दीव	1
5. लक्षद्वीप	1
6. पुदुचेरी	1
7. लद्दाख	1
8. जम्मू और कश्मीर	5

### ❖ राज्यसभा

संसद के दो सदन हैं - लोक सभा और राज्यसभा । राज्यसभा संसद का उच्च और द्वितीय सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ।

और इसके सदस्य विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। यह एक स्थाई सदन है और कभी भंग नहीं होता, किन्तु इसके 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष के बाद स्थान खाली कर देते हैं, जिनकी पूर्ति नए सदस्यों से होती है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

राज्यसभा में अधिक-से-अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें 238 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला सामाजिक सेवा इत्यादि का विशेष ज्ञान होता है।

राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 में, राज्यों से 233 तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं।

**राज्यों के प्रतिनिधि** - सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्यों के प्रतिनिधि अपने राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से तथा एकल संक्रमणीय मत विधि के अनुसार होता है।

भारत में राज्यसभा के गठन के विषय में एक ओर दक्षिण अफ्रीका की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और दूसरी ओर आयरलैंड की मनोनयन प्रणाली को अपनाया गया है।

राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गई है।

### राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएँ

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए
2. उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो
3. भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद न ग्रहण करे
4. पागल या दिवालिया न हो

### राज्यसभा के अधिकार और कार्य

- धन तथा वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में जाते हैं।
- धन विधेयक राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए भेजा जाता है यदि राज्यसभा द्वारा इसे 14 दिन में पारित न किया जाए तो इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है।
- वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा ही नहीं जाता है।
- यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत से जो भी निर्णय हो जाए, वही अंतिम निर्णय समझा जायेगा
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
- राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री नियुक्त हो सकते हैं।
- आपातकालीन उद्घोषणा का अनुमोदन लोक सभा के साथ-ही-साथ राज्यसभा द्वारा भी होना आवश्यक है।
- राष्ट्रपति / उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग (Impeachment) लगाने का अधिकार लोक सभा के सामान राज्य सभा को भी है।

### राज्यों में राज्य सभा सदस्यों की संख्या

1. उत्तर प्रदेश	31
2. महाराष्ट्र	19
3. तमिलनाडु	18
4. पश्चिम बंगाल	16
5. बिहार	16
6. कर्नाटक	12
7. मध्यप्रदेश	11
8. आंध्र प्रदेश	11
9. गुजरात	11
10. ओडिशा	10
11. राजस्थान	10
12. केरल	9
13. पंजाब	7
14. तेलंगाना	7
15. झारखण्ड	6
16. हरियाणा	5
17. छत्तीसगढ़	5
18. जम्मू-कश्मीर	4

ही आवश्यकता पड़ने पर विधेयक प्रबड़ या संयुक्त संसदीय समिती को सौंपा जा सकता है।

तदर्थ समिति में स्पीकर चेरमैन द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं -

संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। कभी-कभी विधेयक को जनमत संग्रह के लिए भेज दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर गिलोटिन व कंगारू सत्र का प्रयोग किया जाता है।

- **गिलोटिन-** इसके तहत किसी विधेयक पर मतदान का समय पहले ही तय कर लिया जाता है तथा समय समाप्त होते ही मतदान करा लिया जाता है। भले ही बहस अधूरी हो।

**कंगारू सत्र-** इसके तहत किसी विधेयक के महत्वपूर्ण हिस्सों पर ही बहस एवं मतदान कराया जाता है।

### ■ किसी विधेयक के व्ययगत होने की स्थिति

0 "यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा में विचारधीन हो, और लोकसभा भंग हो गयी हो, तो विधेयक व्ययगत (lapsed) हो जाता है।

0 यदि कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित है, परन्तु राज्यसभा में विचारधीन है, तथा राज्यसभा भंग हो गयी हो, तो विधेयक व्ययगत (समाप्त) हो जाता है।

0 यदि बिल राज्य सभा में विचारधीन हो, राज्यसभा द्वारा पारित होकर लोकसभा में विचारधीन हो तथा लोकसभा भंग हो जाती है। तो विधेयक व्ययगत नहीं होता।

0 यदि विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया गया है, तथा इन दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है, तथा लोकसभा भंग हो जाती है। तो विधेयक व्ययगत नहीं होता।

0 यदि विधेयक दोनों सदनों में मतभेद हों, परन्तु संयुक्त बैठक बुला ली गयी हो तो विधेयक व्ययगत नहीं होता, भले ही लोकसभा भंग हो जाये।

### संसद में प्रस्तुत होने वाले प्रमुख प्रस्ताव

■ अनुच्छेद 75 (iii) के अनुसार विश्वास-मत का जन्म हुआ। इस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

■ विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा में रखा जाता है।

■ अब तक 3 प्रधानमंत्री विश्वास मत हासिल न करने के आधार पर अपदस्थ हो चुके हैं।

(i) V-P Singh (1990)

(ii) HD देवगौड़ा (1997)

(iii) अटल बिहारी वाजपेयी (1997)

■ सर्वप्रथम चरण सिंह (1979) को विश्वास मत साबित करने की कहा गया।

■ इसके पूर्व राष्ट्रपति को अभिभाषण प्रस्ताव को ही विश्वास मत मान लिया जाता है।

**अविश्वास प्रस्ताव** - "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(iii) के आधार पर इसका जन्म हुआ। यह विपक्ष (विरोधी पार्टी) द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विपक्ष, इसके लिए कुल सदस्यों का कम से कम 10% प्रस्ताव रखते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव 19 दिन के नोटिस पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

■ 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव JB-कृपलानी द्वारा रखा गया था।

■ अब तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका।

■ विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव के मध्य कम से कम 6 माह का अन्तर जरूर होना चाहिए।

**निन्दा- प्रस्ताव** - निन्दा प्रस्ताव भी अनुच्छेद 75 (iii) से प्रेरित है, यह विपक्ष द्वारा लोकसभा में रखा जाता है, किसी एक मंत्री के निन्दा प्रस्ताव पारित होने पर सम्पूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

**ध्यान- आकर्षण प्रस्ताव** - यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसके तहत किसी विशेष मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

**कामरोको प्रस्ताव** - "इस प्रस्ताव के मध्य चल रही कार्यवाही को रोककर किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाती है, यह दोनों सदनों में लाया जा सकता है।

### विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव -

■ "यह प्रस्ताव उस स्थिति में लाया जाता है, जब सत्र के दौरान नीतिगत घोषणाएँ सदन के बाहर की जाती हैं।

■ जब मंत्री द्वारा किसी तथ्य को छिपाया अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है।

○ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जा सकता है।

### संसदीय समितियाँ

संसद में दो प्रकार की समितियाँ अस्तित्व में होती हैं।

1. तदर्थ समिति

2. स्थायी समिति

1. **तदर्थ समितियाँ** किसी विशेष मुद्दे पर बनायी जाती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं।

(1) तदर्थ समिति के सदस्य स्पीकर द्वारा चुने जाते हैं।

(2) संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं।

2. **स्थायी समितियाँ** वर्ष भर अस्तित्व में रहती हैं। जिन में दो समितियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

(1) लोक लेखा समिति

(2) अनुमान समिति

## विविध

### महत्वपूर्ण दिवस

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022	
जनवरी	समारोह की तिथि
विश्व ब्रेल दिवस	4 जनवरी
विश्व युद्ध अनाथ दिवस	6 जनवरी
प्रवासी भारतीय दिवस	09 जनवरी
राष्ट्रीय युवा दिवस	12 जनवरी
सड़क सुरक्षा सप्ताह	11 -17 जनवरी
लाल बहादुर शास्त्री पुण्य-तिथि	11 जनवरी
सेना दिवस	15 जनवरी
NDRF स्थापना दिवस	19 जनवरी
सुभाष चन्द्र का जन्मदिन	23 जनवरी
पराक्रम दिवस	23 जनवरी
राष्ट्रीय बालिका दिवस	24 जनवरी
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस	24 जनवरी
राष्ट्रीय मतदाता दिवस	25 जनवरी
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस	25 जनवरी
गणतंत्र दिवस - 26 जनवरी	26 जनवरी
अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस	27 जनवरी
लाला लाजपत राय जयंती	28 जनवरी
विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस	शहीद दिवस
शहीद दिवस	30 जनवरी
फरवरी	समारोह की तिथि
भारतीय तटरक्षक दिवस	1 फरवरी
विश्व आद्रभूमि दिवस	1 फरवरी
विश्व कैंसर दिवस	4 फरवरी
अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस	4 फरवरी

International day of Zero tolerance for female genital mutilation	6 फरवरी
International Epilepsy Day	8 फरवरी
सुरक्षित इंटरनेट दिवस	9 फरवरी
विश्व दाल दिवस	10 फरवरी
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस	10 फरवरी
विज्ञान में बालिकाओं तथा महिलाओं का दिवस	11 फरवरी
विश्व यूनानी दिवस	11 फरवरी
राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस	12 फरवरी
विश्व रेडियो दिवस	13 फरवरी
वेलेंटाइन्स डे	14 फरवरी
अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस	15 फरवरी
विश्व सामाजिक न्याय दिवस	20 फरवरी
विश्व पैंगोलिन दिवस	20 फरवरी
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस	21 फरवरी
World thinking day	22 फरवरी
केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस	24 फरवरी
संत रविदास जयंती	27 फरवरी
विश्व एनजीओ दिवस	27 फरवरी
राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस	27 फरवरी
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	28 फरवरी
दुर्लभ रोग दिवस	28 फरवरी
मार्च	समारोह की तिथि
विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस	1 मार्च
कर्मचारी प्रशंसा दिवस	2 मार्च
विश्व श्रवण दिवस	3 मार्च
विश्व वन्यजीव दिवस	3 मार्च
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस	4 मार्च
जनऔषधि दिवस	7 मार्च

रेजर (विद्युत)	जैकेब शिक	सं.रा. अमेरिका	1931
सैफ्टी पिन	वाल्टर हण्ट	सं.रा. अमेरिका	1849
स्काच टेप	रिचर्ड हू	सं.रा. अमेरिका	1930
स्वतः चालक	चार्ल्स केटरिंग	सं.रा. अमेरिका	1911
टेलीफोन	ग्राहम बेल	सं.रा. अमेरिका	1876
टेलीविजन (इलेक्ट्रॉनिक)	टेलर फारंवरथ	सं.रा. अमेरिका	1927
टेलीविजन (यांत्रिकी)	जे.एल. बेयर्ड	ब्रिटेन	1926
टेलीस्कोप	हैन्स लैपरसी	नीदरलैण्ड्स	1608
टेलीग्राफ कोड	सैमुअल मोर्स	सं.रा. अमेरिका	1837
टेलीग्राफ (यान्त्रिक)	एम. लैमाण्ड	फ्रांस	1787
सुपर कंडक्टिविटी	एच.के. ओनेस	नीदरलैण्ड्स	1911
रिवाल्वर	सैमुअल कोल्ट	सं.रा. अमेरिका	1935
रिकार्ड (लांग-प्लेइंग)	डॉ. पीटर गोल्डमार्क	सं.रा. अमेरिका	1948
पार्किंग मीटर	कार्लटन मैगी	सं.रा. अमेरिका	1935
स्लाइड पैमाना	विलियम ओफट्रेड	ब्रिटेन	1621
सेलुलाइट	अलेक्जेंडर पार्कस	ब्रिटेन	1861
रेडार	डॉ. अल्बर्ट टेलर व लियो यंग	सं.रा. अमेरिका	1922
रबड़ (वल्कनीकृत)	चार्ल्स गुडइयर	सं.रा. अमेरिका	1841
रबड़ (टायर)	थॉमस हॉनकाक	ब्रिटेन	1846
रबड़ (जलरोधी)	चार्ल्स मैकिनटोस	ब्रिटेन	1823
रबड़ (पौधों का दूध)	डनलप रबड़ कंपनी	ब्रिटेन	1928
स्काईस्क्रैपर	विलियम जेनी	सं.रा. अमेरिका	1882
सीमेण्ट (पोर्टलैण्ड)	जोसेफ ऐस्पडीन	ब्रिटेन	1824

पाश्चुरीकरण	लुई पाश्चर	फ्रांस	1867
रेडियो टेलीग्राफी	डेविड एडवर्ड ह्यूज	ब्रिटेन	1879
रेडियो टेलीग्राफी	जी. मार्कोनी	इटली	1901
सेफ्टी मैच	जॉन बाकर	ब्रिटेन	1826

### • भारत के प्रमुख खेल

#### राष्ट्रमंडल खेल

- ❖ राष्ट्रमंडल खेल की कल्पना सन् 1891 में एक अंग्रेज "जे. एस्ले कपूर" ने की थी
- ❖ राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ई. में हेमिल्टन (बरमूडा) में हुई थी
- ❖ राष्ट्रमंडल खेल का नाम ब्रिटिश साम्राज्य तथा सन् 1954 राष्ट्रमंडल खेल रखा गया।
- ❖ सन् 1908 के ओलम्पिक के बाद रिचर्ड कूम्बस नामक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के द्वारा उसके सुझाव को मंजूरी दे दी गई।
- ❖ 1934 ई. में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था।
- ❖ राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक चार वर्षों पर दो ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों के बीच में होता है।
- ❖ राष्ट्रमंडल खेल कभी भी लगातार एक ही देश में नहीं होते हैं।
- ❖ राष्ट्रमंडल खेल में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की टीम में भाग ले सकते हैं।

#### एशियाई खेल

- सन् 1947 में नई दिल्ली में एशियाई देशों के सम्मलेन में एशियाई देशों की अन्तर्राष्ट्रीय खेलों की स्पर्धा हर चार वर्ष पर आयोजित करने की योजना बनायी गई।
- प्रो. जी.डी. सोढी को इस प्रस्ताव का श्रेय जाता है, जिनका उद्देश्य खेलों के माध्यम से एशियाई देशों को एक-साथ करना था।
- एशियाई खेल संघ ने चमकते सूर्य को अपना प्रतीक चिह्न घोषित किया।
- पहले एशियाई खेलों की प्रतियोगिता का उद्घाटन 4 मार्च, 1951 को नई दिल्ली में हुआ था।

#### क्रिकेट

- ❖ क्रिकेट खेल की उत्पत्ति दक्षिण-पूर्वी इंग्लैंड में हुई मानी जाती है।
- ❖ इंग्लैंड मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 ई. में हुई।
- ❖ भारत में कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 ई. में हुई।



प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -  (Proof Video Link)

**RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न, 150 में से)**

**RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न, 150 में से)**

**UP Police Constable 2024 - <http://surl.li/rbfyn> (98 प्रश्न, 150 में से)**

**Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>**

**Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>**

**RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKj14nSxE>**

**VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>**

**Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>**

**PTI 3<sup>rd</sup> grade - [https://www.youtube.com/watch?v=iA\\_MemKKgEk&t=5s](https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s)**

**SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gzzfJyt6vl>**

<b>EXAM (परीक्षा)</b>	<b>DATE</b>	<b>हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या</b>
<b>MPPSC Prelims 2023</b>	<b>17 दिसम्बर</b>	<b>63 प्रश्न (100 में से)</b>
<b>RAS PRE. 2021</b>	<b>27 अक्टूबर</b>	<b>74 प्रश्न आये</b>
<b>RAS Mains 2021</b>	<b>October 2021</b>	<b>52% प्रश्न आये</b>

**whatsapp - <https://wa.link/wt3ks1> 1 web. - <https://shorturl.at/hkAY3>**





<b>RAS Pre. 2023</b>	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
<b>SSC GD 2021</b>	16 नवम्बर	68 (100 में से)
<b>SSC GD 2021</b>	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
<b>RPSC EO/RO</b>	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	14 सितम्बर	119 (200 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	15 सितम्बर	126 (200 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्टूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	103 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्टूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	91 (150 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसम्बर (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	59 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसम्बर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	61 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसम्बर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	57 (100 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	14 नवम्बर 2021 1 <sup>st</sup> शिफ्ट	91 (160 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	21 नवम्बर 2021 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	89 (160 में से)
<b>Raj. CET Graduation level</b>	07 January 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	96 (150 में से)
<b>Raj. CET 12<sup>th</sup> level</b>	04 February 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	98 (150 में से)
<b>UP Police Constable</b>	17 February 2024 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	98 (150 में से)

**& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.**

whatsapp - <https://wa.link/wt3ks1> 2 web.- <https://shorturl.at/hkAY3>





# Our Selected Students



Approx. 483+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	<b>Mohan Sharma</b> S/O Kallu Ram	Railway Group - d	11419512037002 2	PratapNag ar Jaipur
	<b>Mahaveer singh</b>	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	<b>Sonu Kumar Prajapati</b> S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier- 1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	<b>Mahender Singh</b>	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumang arh
	<b>Lal singh</b>	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumang arh
N.A	<b>Mangilal Siyag</b>	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

	<b>MONU S/O KAMTA PRASAD</b>	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	<b>Mukesh ji</b>	RAS Pre	1562775	newai tonk
	<b>Govind Singh S/O Sajjan Singh</b>	RAS	1698443	UDAIPUR
	<b>Govinda Jangir</b>	RAS	1231450	Hanumang arh
N.A	<b>Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma</b>	RAS	N.A.	Churu
	<b>DEEPAK SINGH</b>	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawa la
N.A	<b>LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL</b>	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	<b>Ramchandra Pediwal</b>	RAS	N.A.	diegana , Nagaur



	<b>Monika jangir</b>	RAS	N.A.	jhunjhunu
	<b>Mahaveer</b>	RAS	1616428	village- gudaram singh, teshil-sojat
N.A.	<b>OM PARKSH</b>	RAS	N.A.	Teshil- mundwa Dis- Nagaur
N.A.	<b>Sikha Yadav</b>	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	<b>Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel</b>	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A.	<b>mukesh kumar bairwa s/o ram avtar</b>	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUN U
N.A.	<b>Rinku</b>	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	<b>Rupnarayan Gurjar</b>	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	<b>Govind</b>	SSB	4612039613	jhalawad

	<b>Jagdish Jogi</b>	EO/RO Marks)	(84 N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	<b>Vidhya dadhich</b>	RAS Pre.	1158256	kota
	<b>Sanjay</b>	Haryana PCS	96379	Jind (Haryana)

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

WhatsApp करें - <https://wa.link/wt3ks1>

Online Order करें - <https://shorturl.at/hkAY3>

Call करें - **9887809083**

whatsapp - <https://wa.link/wt3ks1> 6 web.- <https://shorturl.at/hkAY3>